कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहपुर

प्रेस- नोट, जनपद फतेहपुर

दिनांक 23.05.2026

थाना थरियांव पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में दिनांक 14.05.2026 को हुई ट्रॉली चोरी एवं थाना कोतवाली क्षेत्र में दिनांक 12/13.04.2026 को हुई थ्रेसर चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए संलिप्त 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, तीन मोबाइल फोन, ₹4,400 नगद तथा चोरी की गई ट्रॉली एवं थ्रेसर बरामद किए गए। उक्त सफल अनावरण एवं गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक फतेहपुर, श्री अभिमन्यु मांगलिक द्वारा गिरफ्तारी करने वाली टीम को ₹15,000 के इनाम से पुरस्कृत किया गया।

श्री अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अधीक्षक फतेहपुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक फतेहपुर के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी थरियांव के कुशल नेतृत्व में थाना थाना थरियांव पुलिस द्वारा थाना कोतवाली व थाना थरियांव क्षेत्रातर्गत हुई चोरी की दो घटनाओं का सफल अनावरण करते हुये घटना में संलिप्त 05 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

1. थाना थरियांव

दिनांक 16.05.2026 को वादी मो0 कफील पुत्र बन्ने खाँ निवासी हस्वा थाना थरियांव जनपद फतेहपुर द्वारा दी गई तहरीरी सूचना बाबत वादी की ट्रैक्टर की ट्रॉली बनाने की दुकान हस्वा मोड़ पर है, यहां से दिनांक 14.05.2026 की रात्रि समय करीब 00:30 बजे अज्ञात चोरों द्वारा ट्रॉली चोरी हो गई । उक्त सूचना के आधार पर थाना थरियांव पर मु0अ0स0 106/2026 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

2. थाना कोतवाली

दिनांक 12.04.2026 को वादी श्री आशीष कुमार पुत्र श्री केशन बाबू निवासी सुल्तान नगर बड़े पुल लोधीगंज, थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर द्वारा सूचना दी गई कि दिनांक 12/13.04.2026 को रात्रि में समय करीब 01.20 बजे अज्ञात चोरों द्वारा वादी की दुकान से एक थ्रेसर सुपर भारत कंपनी 50एचपी चोरी कर लिया गया । उक्त सूचना के आधार पर थाना कोतवाली पर मु0अ0स0 142/2026 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण- उपरोक्त अभियोगों की विवेचनात्मक कार्यवाही, प्रभावी सुरागरसी-पतारसी एवं मुखबिर खास की सूचना के आधार पर दिनांक 23.05.2026 को थाना थरियांव पुलिस टीम द्वारा निम्न अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया—

1. बृजेश मौर्या पुत्र बाबूलाल निवासी ग्राम पथरावा थाना सैनी जनपद कौशाम्बी उम्र लगभग 26 वर्ष
2. दीपू यादव पुत्र बढ़कू यादव निवासी कनवार थाना सैनी जनपद कौशाम्बी उम्र करीब 20 वर्ष
3. सुरेश कुमार पुत्र कन्धई लाल नि० मलाक भायल थाना कोखराज जनपद कौशाम्बी उम्र 25 वर्ष
4. शिवबाबू पुत्र रोशन लाल निवासी मलाक भायल थाना कोखराज जनपद कौशाम्बी उम्र करीब 27 वर्ष
5. वारिस गुलाम उर्फ गोला के घर ग्राम मवई केवट थाना मंझनपुर जनपद कौशाम्बी उम्र करीब 22 वर्ष

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक व समय-

थाना कोखराज जनपद कौशाम्बी, दिनांक 23.05.2026 समय 04.25 बजे

अभियुक्तों के कब्जे से बरामदगी-

1. 01 थ्रेसर
2. 01 ट्राली
3. घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर
4. घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल
5. तीन मोबाइल फोन
6. ₹4,400 नगद

बरामदगी के आधार पर थाना थरियांव पर पंजीकृत अभि0 अ0स0 106/2026 उपरोक्त में धारा 317(2)/317(4)/317(5)/318(4) बीएनएस की बढ़ोत्तरी तथा थाना कोतवाली में पंजीकृत अभियोग अ0स0 142/2026 उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी करते हुए गिरफ्तार अभियुक्तगण को आज दिनांक 23.05.2026 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के क्रम में गिरफ्तार अभियुक्तगण 1. बृजेश मौर्या 2. दीपू यादव 3. शिवबाबू 4. सुरेश कुमार तथा 5. वारिस गुलाम उर्फ गोला उपरोक्त से अलग-अलग पूछताछ की गयी। पूछताछ में अभियुक्त बृजेश मौर्या एवं दीपू यादव द्वारा बताया गया कि दोनों ने मिलकर ग्राम हसवा थाना थरियांव जनपद फतेहपुर से एक ट्राली चोरी की थी। चोरी से पूर्व हम दोनों ने मोटरसाइकिल डिस्कवर से कई दिनों तक जाकर रेकी की थी। घटना के दिन बृजेश मौर्या अपने ससुर अवध नारायण के ट्रैक्टर आयशर से तथा दीपू यादव मोटरसाइकिल से मौके पर गये थे तथा मौका देखकर ट्राली को ट्रैक्टर में जोड़कर हाईवे के रास्ते चोरी कर ले आये थे। रास्ते में दोनों अभियुक्त ट्रैक्टर एवं मोटरसाइकिल को आपस में बदल-बदल कर चलाते रहे ताकि किसी को शक न हो। बाद में उक्त चोरी की ट्राली को अभियुक्त सुरेश कुमार की मध्यस्थता से अभियुक्त शिवबाबू को 51,000/- रुपये में बेच दिया गया था। ट्राली की पहचान छिपाने हेतु उस पर लाल रंग से पेंट भी कराया गया था। अभियुक्त शिवबाबू ने पूछताछ में बताया कि उसके गांव के सुरेश कुमार ने उसे ट्राली बिक्री हेतु आने की जानकारी दी थी तथा कम कीमत होने के कारण उसने उक्त ट्राली को 51,000/- रुपये में खरीद लिया था। खरीदने के बाद उसने ट्राली पर लाल रंग से पेंट करवा दिया था। बाद में उसे पुलिस द्वारा जानकारी हुई कि उक्त ट्राली चोरी की थी। अभियुक्त सुरेश कुमार ने स्वीकार किया कि उसने बृजेश मौर्या द्वारा लायी गयी ट्राली की खरीद-फरोख्त कराने में मध्यस्थता की थी। अभियुक्त वारिस गुलाम उर्फ गोला ने पूछताछ में बताया कि वह, बृजेश मौर्या एवं दीपू यादव के साथ मिलकर थाना कोतवाली क्षेत्र में थ्रेसर चोरी की घटना में भी शामिल था तथा उसने उक्त चोरी करना स्वीकार किया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 सतीश पवार थाना थरियांव, फतेहपुर
2. उ0नि0 विवेकानन्द मिश्रा थाना थरियांव, फतेहपुर
3. हे0का0 उवैद उल्ला
4. का0 अजीत यादव
5. का0 अंकित यादव
6. का0 अवनीश यादव,
7. का0 रविन्द्र यादव